Posted on
24th of every advance month
Published on 19-20 every month

Registered with RNI
RNI No. DELHIN/2006/17288
DL(S)-17/3277/2024-26
Price Rs. 25

अप्रैल 2025 वर्ष : 20 अंक : 04 कवर सहित पृ. सं. 44 ISSN 2277-5331

हाशिये की आवाज़

संघर्षरत लोगों की प्रथम पूर्व समीक्षित मासिक पत्रिका

बाबासाहेब किसके और क्यों?

आपकी अपनी पत्रिका आपके घर पर सदस्यता के लिए क्यूआरकोड स्कैन करें।

INTEGRATED SOCIAL INITIATIVES
+91 74283 81271

7428381271@okbizaxis

यह आवाज़ महज़ आवाज़ नहीं, सामाजिक परिवर्तन हेतु आन्दोलन है!

नीचे छपा कूपन भरकर भेज दीजिए।

नाम : .....
डाक पता :.....
.....पिन : □□□□□□
ईमेल : .....
मो.नं. .....

मूल्य : एक प्रति 25 ₹.
(रजिस्टर्ड पोस्ट) : वार्षिक 550 ₹., द्विवार्षिक 1080₹.,
(साधारण पोस्ट) : वार्षिक 300 ₹., द्विवार्षिक 575₹.,
त्रिवार्षिक 850₹.
दस कॉपी खरीदने पर 10% की छूट
सहयोग राशि भुगतान का माध्यम-चेक/ मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/ नकद भुगतान निम्न पते पर भेजें।

वितरण अधिकारी -रूबेन मिंज
व्हाट्सएप करें-9289017961

'हाशिये की आवाज़'
इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स
10-इन्स्टीट्यूशनल एरिया
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन : 011-49534156/57
Email : publication@isidelhi.org.in
hka@isidelhi.org.in,
hashiyekiaawaz@gmail.com
Fax : 011-24690660/49534101

प्रकाशक एवं मुद्रक डेन्जिल फर्नांडिस, इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स, 10 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली से प्रकाशित एवं डॉन बॉस्को सोसाईटी फॉर प्रिंटिंग एण्ड ग्राफिक ट्रेनिंग, ओखला रोड, नयी दिल्ली-25 से मुद्रित। संपादक -भिनसेन्ट एक्का, हाशिये की आवाज
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

हाशिये की आवाज़

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027354412788

संघर्षरत लोगों की प्रथम पूर्व समीक्षित मासिक पत्रिका

ISSN 2277-5331(हाशिये की आवाज़)

संघर्षरत लोगों की प्रथम पूर्व समीक्षित मासिक पत्रिक

(PEER-REVIEWED, JOURNAL)

अप्रैल-2025, वर्ष-20, अंक-04, पृष्ठ-44

संपादक

डॉ. भिनसेन्ट एक्का

सहायक संपादक

डॉ. सैयद परवेज

संपादन सहयोगी

पास्कल तिर्की

डॉ. अरुण कुमार उराँव

समीक्षित समिति

डॉ. थोमस पेरूमालिल

मोहनदास नैमिशराय

प्रो. कहकशाँ एहसान साद

डॉ. प्रमोद रंजन, डॉ. कौशल पंवार

डॉ. मोहम्मद आरिफ

डॉ. सुनील कुमार 'सुमन'

डॉ. हंसराज 'सुमन', डॉ. प्रमोद मेहरा

ब्यूरो संवाददाता : राज वाल्मीकि

सम्पादकीय कार्यालय

इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स

10-इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,

नयी दिल्ली-110003

फोन : 011-49534157/132/133

वेब :www.isidelhi.org.in

ईमेल : hka@isidelhi.org.in

hashiyekiaawaz@gmail.com

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सामान्य डाक :₹ 300

रजिस्टर्ड पोस्ट : ₹ 550

द्विवार्षिक सामान्य डाक : ₹575

रजिस्टर्ड पोस्ट :₹1080

सदस्यता शुल्क-डी.डी./ पोस्टल ऑर्डर/ मनीऑर्डर द्वारा इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स के नाम पर भेजें।

सदस्यता एवं विज्ञापन हेतु प्रकाशन अधिकारी से सम्पर्क करें।

दूरभाषा : 011-49534132/133

मोबाइल : 09289017961

ईमेल: publication@isidelhi.org.in

इस अंक में

बाबासाहेब किसके और क्यों? (सम्पादकीय) 1
डॉ. भिनसेन्ट एक्का

राष्ट्रीय एकता की खोज और हाशिए पर पड़े लोगों का सतत् संघर्ष (शोध आलेख) 2
दिनेश आनन्द

स्त्री विमर्श और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर (आलेख) 8
प्रो. बलराज सिंह

डॉ. भीमराव आंबेडकर और मानवाधिकार (आलेख) 12
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन

हम सबके लिए बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर (आलेख) 14
रविन्द्र कुमार गोलिया

लोक गायकी द्वारा अम्बेडकर जनसंचार (आलेख) 16
डॉ. रूपचंद गौतम

दलितों का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्कार(शोध आलेख) 19
डॉ. सुरेश प्रसाद अहिरवार

उत्तराखंड : समान नागरिक संहिता की आड़ में हिन्दुत्व एजेंडा (आलेख) 24
डॉ. अभय कुमार

बाबासाहेब की वैचारिकी और आंदोलन से प्रभावित है, दलित साहित्य : शेखर पवार (आमने-सामने) 29
प्रो. हंसराज सुमन

सरस्वती की पूजा करने वाला साहित्य हमें कतई स्वीकार नहीं : मोहनदास नैमिशराय (आमने-सामने) 30
राजश्री सैकिया

अम्बेडकर और राष्ट्रवाद : एक विश्लेषण (शोध आलेख) 33
डॉ. क्षमा यादव

शोर (कहानी) 36
देवांशु

राष्ट्रवाद किसका? कैसा (लघुकथा) 38
मंजीत कौर

कवियों की पंक्तियाँ 39
सतीश सम्यक, अशोक तिवारी, मदन प्रसाद

इस अंक का आवरण चित्र साभार : www.amazon.in/DN-Art-Dr-Ambedkar- Portrait

सभी चित्र साभार : गूगल एवं सोशल मीडिया

हाशिये की आवाज़ में प्रकाशित लेख एवं उनमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त विचारों के लिए पी.आर.बी. ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं।

कवि की पंक्तियाँ

मदन प्रसाद

अत्त दीपो भव

स्वयं अपना प्रकाश बनो।
बुद्ध धम्म के शरण में जाकर,
सम्यक अष्टांग मार्ग अपनाकर।
पंचशील का लेकर संकल्प,
सुखी जीवन का आस बनो।
स्वयं अपना प्रकाश बनो।
कोई कुछ कहे उसे न मानो,
तर्क विवेक के छनना पर छानो।
लगे सत्य, जो हो हितकारी,
जांच, समझ, बिंदास बनो।
स्वयं अपना प्रकाश बनो।
पाखंड विश्वास को दूर भगाकर।
गलत परंपरा को सदा हटाकर।
काबिल ऐसा बनाओ अपने को,
प्रेरणादायक और खास बनो।
स्वयं अपना प्रकाश बनो।
कौन हूँ मैं? कहां है जाना?
स्वर्ग नरक के चक्कर में न आना।
जानो अनात्म अनित्य अनीश्वर को
कर्मफल का मिठास बनो।
स्वयं अपना प्रकाश बनो।

बुद्ध के कार्य कारण का सिद्धान्त

जाने बिना सदियों से, जग मिथ्या को ढोता है,
बिना कारण कभी यहां, कोई कार्य नहीं होता है।
सुख का कारण, दुख का कारण,
जन्म और मृत्यु का कारण।
राजा, रंक, बनता है कैसे?
सोच, समझ, बुद्धि है कारण।
तर्कशील विवेकी मानव, यहां कभी नहीं रोता है।
बिना कारण कभी यहां, कोई कार्य नहीं होता है।
सोचो यह प्रकृति क्या है?
अजब गजब आकृति क्या है?
होते हैं क्यों प्राकृतिजन्य रंग बिरंगे?
वर्षा क्यों होती है? क्यों उठती है जल में तरंगे?
कारण के पीछे कारण से, बदलाव प्रकृति में होता है।
बिना कारण कभी यहां, कोई कार्य नहीं होता है।
फेंका पत्थर क्यों ऊपर नहीं जाता?
बिना गिराए क्यों नीचे गिर जाता?
बिजली चमक के कुछ देर बाद,
कड़क आवाज़ कानों तक आता।
सबके पीछे कारण है, बिन कारण कुछ नहीं होता है।
बिना कारण कभी यहां, कोई कार्य नहीं होता है।
जाने बिना सदियों से, जग मिथ्या को ढोता है।

राही

राही अभी थको नहीं,
दूर हमें भी जाना है।
ये लड़खड़ाते कदमों ने,
कितने कांटों के घात सहे।
धर्म कर्म के ठेकेदारों की,
ओछी नीची बात सहे।
ध्वस्त हुए उन खंडहरों में,
बुझा चिराग जलाना है।
राही अभी थको नहीं,
दूर हमें भी जाना है।
भूल गए हम अपनी मंजिल,
नायक मेरा भटक गया।
भाग्य आत्मा के चक्कर में,
कौम हमारा अटक गया।
उन अटके भटके लोगों को,
बाबा साहब की राह दिखाना है।
राही अभी थको नहीं,
दूर हमें भी जाना है।
दान धर्म का जाल बिछाकर,
लूट लिया जगवालों ने,
आदमी का खून आदमी पीता,
पहिन पहिन मृगछालों ने।
उन ठग पाखाण्डी को,
सत्य का दर्पण दिखलाना है।
राही अभी थको नहीं,
दूर हमें भी जाना है।
चले चलो रुको नहीं,
विघ्न बाधा के पहाड़ों से।
बढ़े चलो डरो नहीं,
मरे शंख के दहाड़ों से।
हिमगिरी के ऊंची शिखर पर,
झंडा अपना फहराना है।
राही अभी थको नहीं,
दूर हमें भी जाना है।

(कवि, पूर्व प्राचार्य, गोपाल शाह +2 विद्यालय मोतिहारी, पूर्वी चंपारण।)

ईमेल : bnjha977@gmail.com

उत्तराखंड : समान नागरिक संहिता की आड़ में हिन्दुत्व एजेंडा

समान नागरिक संहिता के समर्थन के पीछे मुस्लिम विरोधी बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवा पार्टी यह प्रोपेगंडा फैला रही है कि मुस्लिम पुरुष पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का शोषण करते हैं। सांप्रदायिक ताकतों का दावा है कि मुस्लिम पुरुष चार बार शादी करके दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं और देश की जनसंख्या के अनुपात को बदलकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। भाजपा मुसलमानों को खलनायक बनाकर समान नागरिक संहिता के बहाने बहुसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। यह संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी नीति उत्तराखंड में शुरू की गई है।

डॉ. अभय कुमार

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के सभी धर्मों के निवासी अब इस कानून के दायरे में आ गए हैं। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं। यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन राज्य से बाहर रहते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद, राज्य के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, 'लिव–इन रिलेशनशिप' में रहने वाले जोड़ों के लिए भी पंजीकरण आवश्यक होगा। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, भाजपा अभी आदिवासी लोगों को नाराज नहीं करना चाहती है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में समान नागरिक संहिता पर एक 'वेब पोर्टल' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पहल प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वाली हिंदुत्व की लॉबी का तर्क है कि समान नागरिक संहिता 'धर्म–आधारित' पर्सनल लॉ से बेहतर है, क्योंकि यह समानता को बढ़ावा देती है।

दूसरी ओर, इस कानून के आलोचकों का कहना है कि यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट करता है। इतना ही नहीं, इस कानून ने लोगों की 'प्राइवेसी' अर्थात निजता पर भी हमला किया है। उदाहरण के लिए, इस कानून के लागू होने के बाद 'लिव–इन रिलेशनशिप' के लिए अनिवार्य पंजीकरण की भी आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनकी निजता में हस्तक्षेप है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी उदार समाज में यह राज्य का काम नहीं होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों पर नजर रखे कि वे किसके साथ 'रिलेशनशिप' में हैं और किसके साथ नहीं। दो वयस्कों के बीच संबंध स्थापित करने का निर्णय उनकी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, राज्य द्वारा नहीं।

बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह और तलाक जैसे मामलों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसे सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। यह भी याद रखना चाहिए कि नई आर्थिक नीतियों के तहत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पहले से ही कटौती की जा रही है। इसके बाद और अधिक शर्तें लगाने से जनता और अधिक सरकारी परियोजनाओं से वंचित हो जाएगी।

समान नागरिक संहिता का असली निशाना मुसलमान किस हद तक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कानून के लागू होने के बाद 'हलाला' करने वाले को तीन साल की जेल या

एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। निकाह हलाला प्रथा को लेकर काफी विवाद है। यह माना जाता है कि जब कोई तलाकशुदा महिला अपने पहले पति से फिर से शादी करना चाहती है, तो उसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है। हलाला की शर्त यह है कि महिला नई शादी से तलाक लेने के बाद ही अपने पहले पति से फिर से शादी कर सकती है। यह कहा जाता है कि ऐसी हलाला प्रथा के कारण महिलाओं का शोषण होता है। हालांकि, इस्लाम धर्म के कई जानकार इस प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने वाला अल्लाह की नजर में गुनहगार होता है।

मगर बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई मुस्लिम समाज के अंदर हलाला एक बड़ी समस्या है? क्या इस पर सरकार ने कोई 'स्टडी' करवाई है? या यह सब कुछ प्रोपेगंडा के स्तर पर चल रहा है? 'हलाला' के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, और दक्षिणपंथी प्रचार यह है कि मुस्लिम पुरुष हलाला के बहाने महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच हो रहा है? मुसलमानों को डर है कि जैसे ही हलाला को दंडनीय बनाने वाला कानून पारित होगा, इसका दुरुपयोग निर्दोष लोगों के खिलाफ किया जाएगा।

इस कानून के तहत विवाह की आयु भी निर्धारित की गई है, जो सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगी। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तलाक के मामलों में पुरुष और महिला को समान अधिकार देने का दावा किया गया है, जबकि इस कानून में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

लेकिन विरोधाभास देखिए कि मुख्यमंत्री धामी, जो राज्य में समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक हैं, इस कानून को परिभाषित करने में खुलेआम हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बयानों से यह चिंता और मजबूत होती है कि दक्षिणपंथी संगठन 'यूनिफॉर्मिटी' की आड़ में बहुसंख्यक समाज की मान्यताओं और प्रथाओं को अल्पसंख्यकों पर थोपने की साजिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान में कहा है कि समान नागरिक संहिता की गंगा उत्तराखंड में बहने का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड के देव के समान लोगों को जाता है। ऐसे बयान सुनकर अल्पसंख्यक असहज हो जाते हैं। उनका डर निराधार नहीं है, क्योंकि भाजपा मुख्यमंत्री के बयानों से साफ संकेत मिलता है कि समान नागरिक संहिता का असली निशाना मुस्लिम समुदाय है।

अकसर देखा गया है कि दक्षिणपंथी तत्व अल्पसंख्यकों के धार्मिक प्रतीकों और उनकी संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं और अल्पसंख्यकों पर दबाव डालते हैं कि वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को त्याग दें या उन्हें अपने घरों की दीवारों तक ही सीमित रखें, और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लाने की गलती न करें। हिजाब का उदाहरण लें। दक्षिणपंथियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनें, लेकिन वे सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिंदू धार्मिक पूजा का पुरजोर समर्थन करते हैं। क्या यह हिंदू पार्टी की दोहरी नीति नहीं है?

अक्सर देखा गया है कि दक्षिणपंथी तत्व बहुसंख्यक समाज के धर्म और संस्कृति के सार्वजनिक प्रदर्शन को जीवनशैली बताते हैं और उसके सार्वजनिक प्रदर्शन को स्वाभाविक मानते हैं, जबकि अल्पसंख्यकों के धार्मिक प्रतीकों को धार्मिक कट्टरता से जोड़ दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दक्षिणपंथी बहुसंख्यक समाज के धर्म और संस्कृति को 'राष्ट्रीय संस्कृति' घोषित करने में देर नहीं लगाते, जबकि अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को वे धर्मनिरपेक्षता पर बड़ा हमला मानते हैं।

ऐसा ही रुख मुख्यमंत्री धामी के बयानों और नीतियों में भी दिखाई देता है, जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करने में न केवल हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम यह भी कह रहे हैं कि इसके लागू होने से मुसलमानों में हलाला, इद्दत और तलाक जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी। समान नागरिक संहिता के समर्थन में किए जा रहे दुष्प्रचार को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार के अनुसार समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता हासिल करना नहीं है, बल्कि इसे मुसलमानों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। हिंदुत्व की पाठशाला से प्रशिक्षित नेता इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि लैंगिक समानता के लिए संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देना पूरे मुद्दे को नुकसान पहुंचाने के समान है।

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शीर्ष भाजपा नेताओं ने भी समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ एक रणनीति के रूप में किया है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपना भाषण समाप्त किया, तो जनता को गहरी निराशा हुई थी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर निशाना साधते हुए इसे सांप्रदायिक पर्सनल लॉ बताया। उन्होंने कहा कि आजादी

के बाद से ही भारत में सांप्रदायिक पर्सनल लॉ लागू है, जो समाज में भेदभाव और ऊंच–नीच को बढ़ावा देता है। मोदी के अनुसार, पर्सनल लॉ धर्म पर आधारित है, जो समाज में विभाजन पैदा करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट भी समान नागरिक संहिता की बात करता रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता बनाई जाए और संविधान बनाने वाले नेताओं का भी यही सपना था।

लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री का बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रभावित लग रहा था। उनके भाषण का लहजा हिंदुत्व पार्टी के प्रचारकों जैसा लग रहा था। हिंदुत्व शक्तियाँ अकसर यह अफवाह फैलाती हैं कि पर्सनल लॉ से केवल मुसलमानों को फायदा होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में सभी धार्मिक समूहों के अपने–अपने पर्सनल लॉ हैं। मुसलमानों की तरह हिंदू, ईसाई और पारसी समाजों के भी अपने निजी कानून हैं। आदिवासी समाज के भी अपने पारंपरिक कानून हैं, जिनका पालन करने के लिए वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्सनल लॉ सांप्रदायिक हैं, तो क्या वे हिंदू कोड बिल को भी सांप्रदायिक मानते हैं? यहां तक कि मीडिया भी प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि, मोदी के भाषण को सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि उनका निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ था। पर्सनल लॉ की बात करके वे अपने कट्टर समर्थकों को भरोसा दिला रहे थे कि उनकी सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव करने का इरादा रखती है। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं, जिनके पास राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पर्यावरण विनाश का कोई ठोस समाधान नहीं है। वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और अपने चरमपंथी समर्थकों को खुश रखने के लिए समान नागरिक संहिता का कार्ड खेला जा रहा है।

समान नागरिक संहिता के समर्थन के पीछे मुस्लिम विरोधी बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवा पार्टी यह प्रोपेगंडा फैला रही है कि मुस्लिम पुरुष पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का शोषण करते हैं। सांप्रदायिक ताकतों का दावा है कि मुस्लिम पुरुष चार बार शादी करके दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं और देश की जनसंख्या के अनुपात को बदलकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। भाजपा मुसलमानों को खलनायक बनाकर समान नागरिक संहिता के बहाने बहुसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। यह संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी नीति उत्तराखंड में शुरू की गई है।

उत्तराखंड की कुल जनसंख्या एक करोड़ से अधिक है, जिसमें से अधिकांश हिंदू हैं, जो लगभग 83 प्रतिशत हैं। मुस्लिम समुदाय राज्य में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसकी आबादी लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि ईसाई लगभग आधे प्रतिशत हैं। गौरतलब है कि 2022 के राज्य चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। 2 फरवरी को समिति ने अपना मसौदा सरकार को सौंपा, जिसे 4 फरवरी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मसौदा कानून 750 पृष्ठों का है, जिसमें 392 धाराएं हैं, तथा इसे चार खंडों में तैयार किया गया है। यह विधेयक 7 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास भेजा गया, जिन्होंने 28 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया। 13 मार्च को राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की, जिसके बाद यह कानून बन गया।

हिंदुत्व शक्तियाँ समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकता और देश के विकास से जोड़ते हुए जोर–शोर से इसका प्रचार कर रही हैं। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की रक्षा की बात की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बहुसंख्यक समुदाय से जुड़े कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया था कि स्वतंत्रता के बाद उनकी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति की रक्षा की जाएगी। प्रख्यात विद्वान ए. जी. नूरानी के अनुसार, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि वह मुसलमानों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही कारण है कि 1931 में कांग्रेस ने पर्सनल लॉ के मुद्दे का समर्थन किया था। समान नागरिक संहिता की चर्चा स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई।

संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने पर्सनल लॉ को खत्म कर समान नागरिक संहिता तत्काल क्रियान्वयन की मांग की, लेकिन उस समय बड़ी राय यह थी कि इस विवादास्पद मुद्दे को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया।

दक्षिणपंथी नेता समान नागरिक संहिता के समर्थन में तर्क देते हैं कि चूंकि यह संविधान के नीति निर्देशक

तत्व का हिस्सा है, इसलिए इसका कार्यान्वयन आवश्यक है। हालांकि, वे इस तथ्य का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करते हैं कि वही नीति निर्देशक तत्व श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर देते हैं। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप रहकर, भगवा ताकतें जानबूझकर केवल एक समान नागरिक संहिता पर जोर देती हैं। भगवा संगठन यह भी नहीं मानते कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति नीति निर्देशक तत्व से अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा देता है। यही कारण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अदालत में चुनौती दी है।

भगवा संगठन, जो आज लैंगिक समानता का सबसे बड़ा चौंपियन होने का दावा करता है, हिंदू कोड बिल का सबसे बड़ा विरोधी रहा है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का कड़ा विरोध किया और उन्हें हिंदू समाज में सुधार करने से रोका। संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर हिंदू महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदू कोड बिल में क्रांतिकारी सुधार लाना चाहते थे, लेकिन तब भी दक्षिणपंथी लॉबी ने उनका कड़ा विरोध किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी दक्षिणपंथियों को खुश करने के लिए लैंगिक समानता के अपने वादों से पीछे हटने का फैसला किया। तब से लेकर अब तक हिंदू समाज में सामाजिक सुधारों के प्रति हिंदुत्व संगठनों का रवैया नकारात्मक रहा है। वे नहीं चाहते कि हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें। महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को नियंत्रित करके हिंदुत्ववादी ताकतें जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही महिलाओं को आजादी और समानता मिलेगी, जाति की दीवारें कमजोर पड़ने लगेंगी।

समय के साथ समान नागरिक संहिता पर भगवा पार्टी का रुख भी बदल गया और उसने इसे लैंगिक समानता से जोड़ दिया, वही पार्टी जो कल तक हिंदू कोड बिल का कड़ा विरोध कर रही थी। एक समय था जब आरएसएस भी समान नागरिक संहिता के खिलाफ था। उदाहरण के लिए, 1972 में "ऑर्गनाइजर" को दिए गए एक साक्षात्कार में आरएसएस प्रमुख एम एस गोलवलकर ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया था और एकरूपता के बजाय बहुलवाद का समर्थन किया था। हालाँकि, जब 1980 के दशक में शाहबानो मुद्दा सामने आया, तो भाजपा को समझ में आ गया कि मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर वह अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति को और आगे बढ़ा सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने समान नागरिक संहिता को अपने चुनाव घोषणा–पत्र का हिस्सा बनाया और धर्मनिरपेक्ष दलों पर चरमपंथी मुस्लिम संगठनों का समर्थन करने तथा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया।

उत्तराखंड में बने इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को चुनौती दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 21 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी कर बोर्ड ने कहा कि उक्त कानून न केवल शरीयत के खिलाफ है, बल्कि देश के संविधान के कई प्रावधानों का भी खंडन करता है। जमीयत ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का अदालत में विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। 12 फरवरी को उर्दू अखबार 'इंकलाब' में छपी एक खबर के अनुसार, जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि वे शरीयत के खिलाफ जाने वाले किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का नहीं है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का भी है। भगवा संगठनों का दावा है कि देश की राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है, जबकि अरशद मदनी ने कहा कि यह देश की अखंडता के लिए हानिकारक है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उन्होंने शरीयत एक्ट का भी जिक्र किया और कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करता है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हुक्मरान जहां देश में सभी कानूनों में एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़े कानून भी अलग–अलग राज्यों में एक जैसे नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि गोहत्या से जुड़े कानून भी हर राज्य में अलग–अलग हैं।

21वें विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में एकरूपता की बजाय विविधता के महत्व पर जोर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार लगातार इसकी अनदेखी कर रही है और समान नागरिक संहिता लागू करने पर अड़ी हुई है। विधि आयोग ने अगस्त 2018 में पारिवारिक कानून पर अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा

गया कि देश में समान नागरिक संहिता को जबरदस्ती लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट में धार्मिक विविधता के महत्व पर जोर दिया गया और सुझाव दिया गया कि महिलाओं के विरुद्ध असमान पर्सनल लॉ और अनुचित आर्थिक प्रणालियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, विधि आयोग ने स्पष्ट किया कि मुसलमानों में बहुविवाह के मामले बहुत दुर्लभ हैं, जबकि गैर–मुस्लिम कभी–कभी इस्लाम धर्म अपना लेते हैं और एक से अधिक विवाह कर लेते हैं। आयोग ने स्वीकार किया कि इस्लाम ने महिलाओं को वित्तीय अधिकार दिए हैं और तलाक के माध्यम से असफल विवाहों से बचने का रास्ता प्रदान किया है।

रिपोर्ट में ईसाई परिवार कानूनों में सुधार की सिफारिश की गई है, साथ ही पारसी परिवार कानूनों में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि किसी पारसी को समुदाय से बाहर न किया जाए या यदि वह किसी गैर–पारसी से विवाह करता है, तो वह अपनी पारसी पहचान न खो दे।

इसके अलावा, रिपोर्ट में इस बात पर खेद व्यक्त किया गया कि हिंदुओं को उनके पर्सनल लॉ के तहत कर में छूट मिलती है, जबकि ईसाई, मुस्लिम और पारसियों को यह सुविधा नहीं मिलती। रिपोर्ट में हिंदू कोड बिल की कमियों और उसमें सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। विशेष विवाह अधिनियम में भी सुधार की सिफारिश की गई और विवाह से पहले एक महीने की सूचना देने की आवश्यकता को कम करने पर जोर दिया गया, ताकि अंतर्धार्मिक और अंतर्जातीय विवाहों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

आयोग की 182 पृष्ठ की रिपोर्ट में विवाह, तलाक, बाल संरक्षण, संरक्षकता, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति के विभाजन से संबंधित सुधारों का उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य लैंगिक भेदभाव और असमानता को समाप्त करना है। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुछ सुधार किए गए हैं, फिर भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर, हिंदू कोड बिल के क्रियान्वयन के दौरान उत्तर भारतीय उच्च जाति की नैतिकता पूरे हिंदू समाज पर थोप दी गई।

रिपोर्ट में खेद व्यक्त किया गया है कि अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता बनी हुई है, और यदि इन दृष्टिकोणों का मूल्यांकन संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रकाश में किया जाए, तो वे स्वीकार्य नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानवशास्त्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि हिंदू समाज में आंतरिक विरोधाभास मौजूद हैं, और यद्यपि उनके खिलाफ कानून हैं, फिर भी वे स्थानीय स्तर पर अभी भी प्रचलित हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्यापक हिंदू पहचान अन्य अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानून बनाने की अनुमति नहीं दे रही है। उदाहरण के लिए, सिख समुदाय लंबे समय से मांग कर रहा है कि उन्हें आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें हिंदू कोड बिल के दायरे में रखा गया है।

जब विधि आयोग ने स्वयं समान नागरिक संहिता को अनावश्यक घोषित कर दिया है और वह पर्सनल लॉ को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, तो इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे तक सीमित करना हानिकारक साबित हो सकता है। अब चूंकि यह मामला अदालत में पहुंच गया है, इसलिए अदालत का यह कर्तव्य है कि वह पूरे मामले को संवैधानिक मूल्यों और उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए देखे। न्यायालय को अच्छी तरह पता है कि भारत मौलिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों को यह गारंटी देता है कि वे अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने तथा अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

संविधान निर्माताओं को यह डर था कि राज्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है, इसलिए उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया गया ताकि भविष्य में दक्षिणपंथी शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। इसके अलावा, न्यायालय को अपना निर्णय देते समय देश के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के बहु–धार्मिक समाज को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी के बिना लोकतंत्र सफल हो सकता है।

बाबासाहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कड़ी मेहनत की थी, का भी मानना था कि लोकतंत्र का मतलब भीड़तंत्र नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के शोषित वर्ग न्यायालयों से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।

□□

लेखक : स्वतंत्र पत्रकार हैं और नियमित रूप से उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में लिखते हैं।

ईमेल : debatingissues@gmail.com